



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23012024-251571
CG-DL-E-23012024-251571

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 315]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 23, 2024/माघ 3, 1945

No. 315]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 23, 2024/MAGHA 3, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2024

सं. 58/2023

विषय: आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 38 के एचएस कोड 38089390 के तहत कवर किए गए ग्लूफोसिनेट टेक्निकल की आयात की नीतिगत शर्त में संशोधन।

का.आ. 331(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 38 के तहत कवर किए गए निम्नलिखित एचएस कोड के लिए आयात की नीतिगत शर्त में, दिनांक 25.01.2024 से प्रभावी, निम्नानुसार संशोधन करती है:

एचएस कोड	मद विवरण	वर्तमान नीति	वर्तमान नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
38089390	- - - अन्य	मुक्त	यदि कीटनाशी अधिनियम, 1968 और उसके संरूपण के अंतर्गत आयात के लिए पंजीकृत है	(क) यदि कीटनाशी अधिनियम, 1968 और उसके संरूपण के अंतर्गत आयात के लिए पंजीकृत है और निषिद्ध नहीं है। (ख) 'ग्लूफोसिनेट टेक्निकल' (शुद्धता-न्यूनतम 95% डब्ल्यू/डब्ल्यू) [सीएस नं. 51276-47-2] का आयात 1289/- रुपये प्रति किलोग्राम से कम सीआईएफ मूल्य के

			और निषिद्ध नहीं है।	लिए "निषिद्ध" है। (ग) तथापि, 'ग्लूफोसिनेट टेक्निकल' का आयात रु. 1289/- प्रति किग्रा अथवा उससे अधिक सीआईएफ मूल्य के लिए 'मुक्त' है। (घ) उक्त नीतिगत शर्त की समीक्षा एक वर्ष की अवधि के बाद की जाएगी।
--	--	--	---------------------	---

*आईयूपीएसी नाम: 2-अमीनो-4-[हाईड्रोक्सी9मीथाइल] फॉस्फोरिल] ब्यूटेनोइक एसिड

अधिसूचना का प्रभाव : आईटीसी (एचएस) कोड 38089390 के तहत 'ग्लूफोसिनेट टेक्निकल' की आयात नीति को 'मुक्त' से सशोधित करके "निषिद्ध" किया गया है। तथापि, सीआईएफ मूल्य 1289/- रुपये प्रति किलोग्राम अथवा इससे अधिक होने पर आयात मुक्त होगा। यह दिनांक 25.01.2024 से लागू होगा।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/16/एम-23/पीसी-2 [क]/ई-38206]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2024

No. 58 /2023

Subject: Amendment in import policy condition of Glufosinate Technical covered under HS Code 38089390 of Chapter 38 of Schedule –I (Import Policy) of ITC (HS) 2022.

S.O. 331(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the import policy condition for the following HS Code covered under Chapter 38 of the ITC (HS), 2022, Schedule -I (Import Policy), with effect from 25.01.2024, as under:

HS code	Item Description	Existing Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
38089390	--- Other	Free	If registered and not prohibited for import under Insecticides Act, 1968 and formulations thereof.	(a) If registered and not prohibited for import under Insecticides Act, 1968 and formulations thereof. (b) Import of 'Glufosinate Technical'* (Purity – Minimum 95% w/w) [CAS No. 51276-47-2] is "Prohibited" for CIF value below Rs. 1289/- per Kg. (c) However, import of 'Glufosinate Technical' is "Free" for CIF value of Rs. 1289/- or above per Kg (d) The said policy condition shall be reviewed after a period of one year.

* IUPAC Name: 2-amino-4-[hydroxy9methyl] phosphoryl] butanoic acid

Effect of the Notification: The import policy of 'Glufosinate Technical' under ITC (HS) Code 38089390 is revised from "Free" to "Prohibited". However, import shall be free if CIF value is Rs. 1289/- or above per Kg. This will be effective from 25.01.2024

This issue with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/16/AM-23/PC-2[A] /E-38206]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.